



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224942
CG-DL-E-04022021-224942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942

No. 59]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी 2021

सं. 01/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क(गै.टे)

सा.का.नि. 97(अ).—केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं.13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 9 जून, 2017, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), जिसे सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 9 जून 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उपरोक्त अधिसूचना में

(i) तालिका 1 में -

(क) क्रम सं. 7 के कॉलम 4 में, प्रविष्टि 7.4.2 और इससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 14 के कॉलम 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(4)	
“14.4.1	आयुक्त (अपील II) मुम्बई
14.4.2	आयुक्त (अपील III) मुम्बई
14.4.3	आयुक्त (अपील) रायगढ़
14.4.4	आयुक्त (अपील) थाने”;

(ii) तालिका III में-

(क) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)
“13	दिल्ली 1	उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली”

(ख) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) क्रम सं. 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(1)	(2)	(3)
“32	मुम्बई II	पूर्वी मुम्बई, मुम्बई सेंट्रल, दक्षिणी मुम्बई”.

[फा. सं. 137/10/2020-सेवा कर]

माजिद खान, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 09 जून 2017, को सा.का.नि 566(अ), दिनांक 09 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2021

No. 01 /2021-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 97(E).—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in exercise of the powers conferred by rule 3 of the Central Excise Rules, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following amendments in the notification No. 13/2017-Central Excise (N.T.), dated the 9th June, 2017, the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.566 (E), dated the 9th June, 2017, namely: -

In the said notification,-

(i) in Table I,-

- (a) against the Sl.No. 7, in column (4), the entry 7.4.2 and its entry relating thereto, shall be omitted;
- (b) against the Sl.No. 14, in column (4), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

(4)	
“14.4.1	Commissioner (Appeals II) Mumbai
14.4.2	Commissioner (Appeals III) Mumbai
14.4.3	Commissioner (Appeals) Raigarh
14.4.4	Commissioner (Appeals) Thane”;

- (ii) in Table III,-

- (a) for Sl.No. 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“13	Delhi 1	Delhi North, Delhi East, Delhi South, Delhi West”;

- (b) Sl.No. 14 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) Sl.No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (d) for Sl.No. 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“32	Mumbai II	Mumbai East, Mumbai Central, Mumbai South”.

[F.No. 137/10/2020-Service Tax]

MAZID KHAN, Under Secy.

Note. The principal notification No. 13/2017-Central Excise, dated the 9th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 566 (E), dated the 9th June, 2017.